परीक्षा समिति की बैठक दिनांकः 04.09.2018 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 04.09.2018, दिन मंगलवार को अपराह्न 01:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिक्स भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 नीलिमा गुप्ता, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	डॉ0 आर0के0 गुप्ता, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर।	सदस्य
4.	प्रो0 संजय कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
6.	प्रो0 मुकेश रंगा, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
7.	डॉ0 सुधीर कुमार अवस्थी, सह–आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
8.	डॉ0 शकील अहमद, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम कालेज, कानपुर।	सदस्य
9.	डॉ0 बृजेश यादव, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
11.	डॉ0 विवेक द्विवेदी, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
12.	डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	श्री एस.एल. पाल, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीय कुलपति जी ने सदस्यों का स्वागत करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए गये :–

मद सं0–1. **परीक्षा समिति की सामान्य बैठक दिनांक 04.07.2018 एवं आपात् बैठक दिनांक 07.07.2018 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार :–**

निर्णय :– परीक्षा समिति की सामान्य बैठक दिनांक 04.07.2018 एवं आपात् बैठक दिनांक 07.07.2018 के कार्यवृत्त को परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया।

मद सं0–2. **दिनांक 13.10.2017 की परीक्षा समिति की बैठक के उपरान्त दिनांक 28.08.2018 तक सम्पन्न हुए विश्वविद्यालय में शोध प्रबन्धों के मूल्यांकन एवं मौखिकी के उपरान्त 52 शोधार्थियों को पी–एच0डी0 की उपाधि से अलंकृत किये जाने की संस्तुति पर विचार :–**

निर्णय :– परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13.10.2017 की परीक्षा समिति की बैठक के उपरान्त दिनांक 28.08.2018 तक सम्पन्न हुए विश्वविद्यालय में शोध प्रबन्धों के मूल्यांकन व मौखिकी के उपरान्त कुल 52 शोधार्थियों को पी–एच0डी0 उपाधि के योग्य पाए जाने पर उन्हें पी–एच0डी0 उपाधि से अलंकृत किए जाने की संस्तुति सर्वसम्मति से की गई।

मद सं0–3. **सत्र 2018–19 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा हेतु स्नातक स्तर पर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के ओ0एम0आर0 पद्धति पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नपत्रों के चयन पर विचार :–**

निर्णय :– परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि सत्र 2017–18 की वार्षिक परीक्षा हेतु बी0ए0 पाठ्यक्रम के तीनों वर्षो के 33 प्रश्नपत्र, बी0कॉम0 पाठ्यक्रम के तीनों वर्षो के 06 प्रश्नपत्र एवं बी0एससी0 पाठ्यक्रम के तीनों वर्षो के 19 प्रश्नपत्र, इस प्रकार कुल 58 प्रश्नपत्रों की बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित (MCQ – Pattern) परीक्षा सम्पन्न करायी गयी थी। वर्ष 2018–19 की संस्थागत एवं व्यक्तिगत वार्षिक परीक्षा हेतु स्नातक स्तर के कला, वाणिज्य एवं विज्ञान पाठ्यक्रमों के विषयों के प्रश्नपत्रों में यदि परिवर्तन किया जाना है, तो उस पर समिति का निर्णय अपेक्षित है।

उपरोक्तानुक्रम में परीक्षा समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श किया गया। चूंकि शासन के निर्देशानुसार परीक्षा परिणाम प्रत्येक दशा में जून माह में घोषित किए जाने हैं, अतः छात्रों की संख्या और उनके सापेक्ष उत्तर पुस्तिकाओं की अधिकता, परीक्षकों की संख्या एवं मूल्यांकन में लगने वाले समय

तथा परीक्षाफल समयान्तर्गत घोषित करने आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व की भांति बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित प्रश्नपत्रों के माध्यम से परीक्षा सम्पन्न कराने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित प्रश्नपत्रों की संख्या के सम्बन्ध में भी समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श किया गया। अध्यक्ष एवं महामंत्री, कानपुर टीचर्स एसोसिएशन द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि गतवर्ष कतिपय कक्षाओं के कतिपय विषयों के दो प्रश्नपत्रों में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित (MCQ–Pattern) प्रश्नपत्रों के माध्यम से परीक्षा सम्पन्न करायी गयी थी, जो उचित नहीं है। यह व्यवस्था एक विषय के एक प्रश्नपत्र में प्रभावी होनी चाहिए, **जबकि समिति के उपस्थित अन्य समस्त सदस्यगणों द्वारा बहुमत से गतवर्ष की व्यवस्था यथावत लागू रखने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र में परीक्षकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाय, जिससे बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित प्रश्नपत्रों की संख्या पर पुनर्विचार किया जा सके।**

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय/परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कोडिंग सेल

मद सं0–4. **छात्र करनमीत डंग, एम0कॉम0 उत्तरार्द्ध, व्यक्तिगत परीक्षा–2006, अनुक्रमांक–21506 के परीक्षा परिणाम के प्रकरण पर विचार :–**

निर्णय :– छात्र करनमीत डंग, एम0कॉम0 उत्तरार्द्ध, व्यक्तिगत परीक्षा वर्ष–2006, अनुक्रमांक–21506, परीक्षा केन्द्र डी0ए0वी0 कालेज, कानपुर की अंकतालिका में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण दर्शाया गया है। करनमीत डंग द्वारा ट्रांस्क्रिप्ट के लिए आवेदन किया गया, तो अतिगोपनीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि एम0कॉम0 उत्तरार्द्ध के प्रथम प्रश्नपत्र में यू0एफ0एम0 लगा हैं। संलग्न इण्टरनेट एवं मूल अंकपत्र में छात्र को प्रथम प्रश्नपत्र में अपूर्ण (IN) दर्शाया गया है। अनुचित साधन प्रयोग समिति द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखानुसार एम0कॉम0 उत्तरार्द्ध परीक्षा–2006 की आरोपित सूची में अनुक्रमांक–21506 सम्मिलित नहीं है।

उक्त छात्र के एम0कॉम0 तृतीय वर्ष, व्यक्तिगत परीक्षा–2006 में सम्मिलित होने के प्रमाण हेतु परीक्षा केन्द्र से आख्या मांगी गयी थी, जिसमें महाविद्यालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त छात्र व्यक्तिगत परीक्षा–2006 में सम्मिलित हुआ था। साथ ही संगणक केन्द्र द्वारा उक्त छात्र का परीक्षाफल दिनांक 31.01.2007 को घोषित किया गया है, जिसमें वह यू0एफ0एम0 में आरोपित नहीं था।

उपरोक्तानुक्रम में परीक्षा समिति द्वारा गहन विचार–विमर्श किया गया। (छात्र के पिता द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में एम0कॉम0 उत्तरार्द्ध के प्रथम प्रश्नपत्र में अनुपस्थित होने की बात कही गयी है) छात्र करनमीत डंग, एम0कॉम0 उत्तरार्द्ध के प्रथम प्रश्नपत्र अपूर्ण (IN) दर्शाते हुए परीक्षाफल तृतीय श्रेणी में घोषित किया जा चुका है, अतः विशेष परिस्थिति में छात्रहित में उक्त परीक्षाफल को तद्नुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार करने की संस्तुति की गई। यह किसी भी दशा में भविष्य के लिए दृष्टांत नहीं माना जाएगा।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय/परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

मद सं0–5. **याचिका संख्या–6006/2018, मनराम मौर्या एवं 04 अन्य बनाम विश्वविद्यालय एवं अन्य में याची द्वारा एलएल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम, सत्र 2010–13 के छात्रों को दिनांक 19.01.2018 को सम्पन्न होने वाली छठे सेमेस्टर की परीक्षा में बैकपेपर परीक्षा में परीक्षा केन्द्र भवन्स मेहता कालेज, भरवारी, कौशाम्बी द्वारा वंचित किए जाने के प्रकरण पर विचार :–**

निर्णय :– याचिका सं0–6606/2018 में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.07.2018 के अनुपालन में सूच्य है कि उक्त याचिका से सम्बन्धित याची मनराम मौर्या एवं 04 अन्य, जो एलएल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2010–13 के छात्र रहे हैं। याची मनराम मौर्या द्वारा निवेदित किया गया है कि शैक्षिक सत्र 2017–18 में इम्प्रूमेण्ट पेपर के सम्बन्ध में ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा किया गया था, जिसको विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण को प्रवेशपत्र जारी कर परीक्षा सेण्टर निर्धारित किया गया था। यहां यह बताना अत्यन्त आवश्यक है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा स्कीम के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा लैण्ड लॉ का पेपर दिया गया तदोपरान्त परीक्षा सेण्टर द्वारा दिनांक 19.01.2018 को प्रार्थीगण को नोटिस द्वारा सूचित किया गया कि प्रार्थीगण का नामांकन निरस्त कर दिया गया। यहां यह उल्लेख करना अतिआवश्यक है कि उक्त नोटिस में नामांकन निरस्त करने का कोई आधार प्रार्थीगण को नहीं बताया

04/9.

गया। जिसके उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष योजित की गई। जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा अपना जवाब प्रार्थीगणों के अधिवक्ता को दिनांक 29.04.2018 को प्राप्त कराया गया, जिसमें प्रस्तर 5 मे विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया कि विधि संकाय का पाठ्यक्रम 03 वर्ष का होता है, जिसको अधिकतम 06 वर्ष में अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण करना आवश्यक है। चूंकि प्रार्थीगण का नामांकन सत्र 2010–11 का है, जो सत्र 2015–16 में पूर्ण हो चुका है। उक्त आधार पर नामांकन निरस्त किया गया है। जहां तक परीक्षा शुल्क, प्रवेशपत्र व परीक्षा (लैण्ड लॉ) देने का प्रश्न है वह कम्प्यूटर में त्रुटि के कारण हो गया है। यहां यह बताना अति आवश्यक है कि प्रार्थीगण द्वारा बैक/इम्प्रूमेण्ट पेपर का आवेदन बाईलाज के प्रस्तर 7 के अन्तर्गत आता है, जिसको निरस्त करने का आदेश पूर्णतया गलत व विधि विरूद्ध है तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त तथ्य पर संज्ञान लेते हुए आदेशित किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का निस्तारण बाईलाज के प्रस्तर 7 के अनुक्रम में किया जाना अति आवश्यक है।

प्रस्तर–7 : A Candidate can reappear at the rate of one paper in each semester, for improving his mark/division. But this facility will be available to those candidates only who pass the examination in one go and without availing the back paper facility. However, the inter-se merit of the candidate shall be determined on the basis of marks obtained in the First examination.

The University will hold SPECIAL BACK PAPER Examination for LL.B. Sixth Semester students as soon as possible after the result of LL.B. Sixth Semester have been declared and the outgoing student of LL.B. Sixth Semester will be provided am opportunity to clear Back Papers in different semesters.

All disputes regarding interpretation of provision of these reuls shall be refered to the Examination Committee of the University whose decision shall be final.

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अध्यादेश के अनुसार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त बैकपेपर/इम्प्रूमेण्ट परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (सेमे. अतिगोपनीय/सेमे. परीक्षा)/नोडल अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ

मद सं0–6. **सत्र 2016–17 एवं 2017–18 में विभिन्न पाठ्यक्रमों की स्क्रूटनी में ओ0एम0आर0 में अंकित अंक एवं उत्तर पुस्तिका के योग में अंकित अंकों में विसंगति के प्रकरण पर विचार :–**

निर्णय :– कोडिंग विभाग एवं स्क्रूटनी विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सत्र 2016–17 एवं 2017–18 के स्क्रूटनी की परिणाम घोषित किए गए है, जिसमें परीक्षकों द्वारा ओ0एम0आर0 में अंकित अंक एवं उत्तर पुस्तिका के योग में अंकित अंकों में विसंगतियां पायी गयी है।

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अगर परीक्षकों द्वारा ओ0एम0आर0 में अंकित अंक एवं उत्तर पुस्तिका में प्रविष्ट अंकों के योग में विसंगतियां पायी जाती हैं तो आरोपित शिक्षक को पहली बार विसंगति पाये जाने पर चेतावनी पत्र निर्गत किया जाय, दूसरी बार की विसंगति पर 01 वर्ष के लिए तथा उससे अधिक बार विसंगति पाये जाने पर 02 वर्ष के लिए मूल्यांकन कार्य से विरत (डिबार) किया जाय। इसी प्रकार को–आर्डिनेटर द्वारा उक्त प्राप्त विसंगतियों के मद्देनजर पहली बार चेतावनी पत्र निर्गत किया जाय, दूसरी बार की विसंगति पर 01 वर्ष के लिए, उससे अधिक बार विसंगति होने पर 02 वर्ष के लिए मूल्यांकन कार्य से विरत (डिबार) किया जाय। साथ ही उक्त प्रकरण की जाँच हेतु प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल, प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार एवं डॉ0 शकील अहमद, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम कालेज, कानपुर की एक समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय)

मद सं0–7. **कु0 आयुषी वर्मा पुत्री श्री उमेश चन्द्र, छात्रा बी0कॉम0 तृतीय वर्ष–2019 के मौखिक परीक्षा के अंकों में हुई त्रुटि के प्रकरण पर विचार :–**

04/9.

निर्णय :– प्राचार्य, फ0अ0अ0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महमूदाबाद, सीतापुर (ST06) ने अपने पत्र 148/परीक्षा/2017–18, दिनांक 23.07.2018 के माध्यम से अनुक्रमांक–0628081, कु0 आयुषी पुत्री श्री उमेश चन्द्र, बी0कॉम0 तृतीय वर्ष–2018 की मौखिकी में त्रुटिवश अंक 73 के स्थान पर अंक 7 अंकित हो गए है, जिसके कारण परीक्षाफल अनुत्तीर्ण दर्शा रहा है।

तत्सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चूंकि प्रकरण बी0कॉम0 तृतीय वर्ष की मौखिकी परीक्षा से सम्बन्धित है अतः उक्त त्रुटि को मानवीय त्रुटि मानते हुए मौखिकी अंक को 73 संशोधित कर दिया जाय।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय/परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

मद सं0–8. **कोडिंग विभाग में योजित शिक्षकों के पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में विचार :–**

निर्णय :– कोडिंग विभाग द्वारा अपनी टीप दिनांक 27.07.2018 के माध्यम से कोडिंग विभाग में योजित शिक्षक एवं कर्मचारियों को निश्चित पारिश्रमिक/माानदेय का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया हैं। तत्क्रम में परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में वित्तीय उपासय निहित होने के कारण प्रकरण वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, जिस पर निर्णय लेने हेतु एक समिति भी गठित की जा चुकी है। उपरोक्तानुक्रम में तद्नुसार कार्यवाही एवं निर्णय होने के पश्चात प्रकरण परीक्षा समिति के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समिति अवगत हुई।

मद सं0–9. **श्री अनिल कुमार, लखनऊ द्वारा स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में उत्तीर्ण ऐसे छात्र/छात्राएँ, जो एम0फिल, पी0–एच0डी0, यू0जी0सी0 नेट एवं जे0आर0एफ0 कर चुके हैं तथा तात्कालिक परिस्थितियों के कारण स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर पर 55 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त हुए हैं, की विशेष अंक सुधार परीक्षा कराने के अनुरोध पर विचार :–**

निर्णय :– श्री अनिल कुमार, लखनऊ द्वारा स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में उत्तीर्ण ऐसे छात्र/छात्राएँ, जो एम0फिल, पी0–एच0डी0, यू0जी0सी0 नेट एवं जे0आर0एफ0 कर चुके हैं तथा तात्कालिक परिस्थितियों के कारण उन्हें स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत एवं परास्नातक स्तर पर 55 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण कुछ विद्यार्थी सहायक आचार्य/समकक्ष पदों पर विभिन्न उच्च शिक्षा चयन आयोगों एवं विश्वविद्यालयों में आवदेन नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही यह भी अवगत कराया है कि विद्यार्थियों की समस्या के समाधान एवं छात्रहित को ध्यान मे रखते हुए उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों द्वारा विशेष श्रेणी सुधार परीक्षा का आयोजन भी किया गया है। उक्त के दृष्टिगत स्नातक स्तर पर किसी एक वर्ष के सभी विषयों, प्रश्नपत्रों तथा परास्नातक स्तर के किसी एक वर्ष के 2 प्रश्नपत्रों की विशेष अंक सुधार परीक्षा कराने का अनुरोध किया गया हैं।

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उपरोक्त मांग/आवेदन विश्वविद्यालय अध्यादेश में निहित प्राविधानों के अनुकूल न होने के कारण औचित्यहीन है।

9. **अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, में निम्नांकित प्रकरण प्रस्तुत किए गए :–**

मद सं0–क, **छात्र अरूण कुमार कुशवाहा, बी0ए0 प्रथम वर्ष, संस्थागत परीक्षा–2003, अनुक्रमांक–132462, अर्मापुर पी0जी0 कालेज, कानपुर के प्रकरण पर विचार :–**

निर्णय :– परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि छात्र अरूण कुमार कुशवाहा, बी0ए0 प्रथम वर्ष, संस्थागत परीक्षा–2003, अनुक्रमांक–132462, अर्मापुर पी0जी0 कालेज, कानपुर, विषय–प्राचीन भारतीय इतिहास, अर्थशास्त्र एवं चित्रकला की परीक्षा में सम्मिलित हुआ था, किन्तु कतिपय कारणोंवश प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित हो गया। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 05.07.2003 के माध्यम से छात्र को अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। पुनश्च छात्र द्वारा बैकपेपर परीक्षा एवं छूटी प्रायोगिक परीक्षा दी गई। छात्र के बैकपेपर प्राप्तांक को विश्वविद्यालय द्वारा चार्ट में प्रविष्टि कर दी गई, किन्तु छूटी प्रायोगिक परीक्षा के अंक चार्ट पर प्रविष्ट नहीं किए गए, जिससे परीक्षाफल अपूर्ण है। छात्र को बी0ए0 तृतीय वर्ष, संस्थागत परीक्षा–2005, अनुक्रमांक–348090 की द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की

04/9

अंकतालिका प्राप्त करा दी गई, जिसके आधार पर छात्र द्वारा एम0ए0–अर्थशास्त्र एवं बी0एड0 परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी है।

तत्सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चूंकि प्रकरण बहुत पुराना है तथा छात्र बी0ए0 प्रथम वर्ष की बैकपेपर परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हुआ है। अतः विशेष परिस्थिति में छात्रहित में उक्त छात्र को बैकपेपर परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि करते हुए तद्नुसार परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय/परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

मद सं0–ख, **सत्र 2016–17 के बी0एड0 प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को दिनांक 17.09.2018 से प्रारम्भ होने वाली बी0एड0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित कराये जाने पर विचार :–**

निर्णय :– परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि महाविद्यालयों एवं छात्र/छात्राओं के अनेकों प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जो बैच 2016–18 के ऐसे छात्र/छात्राओं के हैं, जिनके परीक्षाफल में प्रमोटेड, माह मई, 2018 में सम्पन्न हुई बैकपेपर परीक्षा में अनुपस्थित हो जाने के कारण परीक्षाफल अनुत्तीर्ण एवं माह मई, 2018 में सम्पन्न हुई बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरान्त भी परीक्षाफल अनुत्तीर्ण हैं।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से बैच 2016–18 के ऐसे छात्र/छात्राओं के हैं, जिनके परीक्षाफल में एक विषय में प्रमोटेड, माह मई, 2018 में सम्पन्न हुई बैकपेपर परीक्षा में अनुपस्थित हो जाने के कारण परीक्षाफल में एक विषय में अनुत्तीर्ण एवं माह मई, 2018 में सम्पन्न हुई बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरान्त भी परीक्षाफल एक विषय में अनुत्तीर्ण हैं, को इस शर्त के साथ दिनांक 17.09.2018 से प्रारम्भ होने वाली बी0एड0 द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित कराने का निर्णय लिया गया कि वे आगामी बी0एड0 प्रथम वर्ष की एक विषय की बैकपेपर परीक्षा में अन्तिम रूप से सम्मिलित होकर उत्तीर्ण कर लेगें। तत्पश्चात ही उनका बी0एड0 द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय। ऐसे छात्र/छात्रा इस आशय का शपथपत्र जमा करेंगे कि उक्त बी0एड0 प्रथम वर्ष की बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित न होने अथवा अनुत्तीर्ण होने पर उनको अन्य कोई अवसर प्रदान न किया जाय तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र/छात्रा का होगा।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय/परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कोडिंग सेल

मद सं0–ग, **अनुचित साधन प्रयोग समिति के संयोजक नामित किए जाने पर विचार :–**

निर्णय :– परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अनुचित साधन प्रयोग समिति के संयोजक प्रो0 आर0सी0 कटियार, पूर्व प्रति–कुलपति, के सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त पूर्व निर्धारित अनुचित साधन प्रयोग समिति में संयोजक नामित किया जाना है।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से प्रो0 संजय कुमार स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग को पूर्व निर्धारित अनुचित साधन प्रयोग समिति का संयोजक नामित किए जाने का निर्णय लिया।

कार्यवाही–सहा0/उपकुलसचिव (यू0एफ0एम0)

अन्त में मा0 कुलपति जी द्वारा सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

04/9.
(एस.एल. पाल)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति

4/9/18
(प्रो0 नीलिमा गुप्ता)
कुलपति